मानानीय न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और एस.एस. सरोन के समक्ष

जे.जे. कुलदीप सिंह.-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 2002 का 1640

24 अक्टूबर 2002

भारत का संविधान, 1950-कला. 226-हरियाणा सिविल सेवा न्यायिक शाखा नियम-आर.एल. 8 (यथासंशोधित)-एच.सी.एस. में भर्ती। (जे.बी.) सरकार। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए छह पदों को अधिसूचित किया गया-संशोधित आरएल। 8 पांच अतिरिक्त नामों की संख्या तय करना जिन्हें उम्मीदवारों के चयन की तारीख से एक वर्ष के भीतर होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है-चयनित उम्मीदवारों के परिणाम की तारीख से एक वर्ष की अवधि शुरू होती है आधिकारिक राजपत्र-एच.पी.एस.सी. में प्रकाशित किया गया है। सफल उम्मीदवारों-याचिकाकर्ता के नामों की सिफारिश क्रम संख्या पर करें। स्वचालित राशि -कुलदीप सिंह. हरियाणा राज्य एवं अन्य (न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) 215 योग्यता सूची के 9-अप्रत्याशित रिक्तियों के लिए दावा-सरकार। हाईकोर्ट रजिस्टर में पैनल में शामिल करने के लिए अतिरिक्त 5 नाम भेजने में असफल होना-गाउट द्वारा नियम 8 का अनुपालन न करना। जिसके परिणामस्वरूप चयनित उम्मीदवारों के अधिकारों और वैध अपेक्षाओं को प्रभावित करने वाले सभी क्षेत्रों में गंभीर सुधार हुआ है - राज्य सरकार को उच्च न्यायालय रजिस्टर में पैनल में शामिल होने के लिए योग्यता के क्रम में याचिकाकर्ताओं के नाम अग्रेषित करने का निर्देश देते हुए याचिकाएं स्वीकार की गईं।

माना गया कि अतिरिक्त 5 नाम देने का उद्देश्य परीक्षा के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों के चयन की तारीख से एक वर्ष के भीतर होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरना सुनिश्चित करना है। नियम 2 ले के उत्तरार्ध में दो प्रासंगिक अभिव्यक्तियाँ हैं। एक वर्ष अभ्यर्थियों के चयन की तिथि से और दूसरा परीक्षा के परिणाम के रूप में। नियम 8-ए के समग्र रूप में प्रभाव और दायरे का निर्धारण करते समय इन दोनों अभिव्यक्तियों में से किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 16)

इसके अलावा, एक वर्ष की अवधि नियम 8 भाग-डी के संदर्भ में चयनित उम्मीदवारों के परिणाम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से शुरू होनी चाहिए।

(पैरा 26)

इसके अलावा, यह माना गया कि परिणाम की घोषणा/राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर एक रिक्ति हुई थी और यह रिक्ति उस व्यक्ति को कभी नहीं दी गई थी जिसका नाम स्पष्ट रूप से था और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्टर में सूचीबद्ध होना चाहिए था। पोस्ट। पहली गलती हरियाणा राज्य द्वारा की गई क्योंकि उन्होंने नियम 8 (1993 में संशोधित) की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया। उन्हें विज्ञापित रिक्तियों की संख्या और 5 अतिरिक्त नाम भेजने चाहिए थे। राज्य सरकार की ओर से हुई इस त्रुटि के परिणामस्वरूप बाद में त्रुटियाँ हुईं। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप विशेष रूप से याचिकाकर्ता की वैध और वैध अपेक्षा के लिए गंभीर सुधार हुआ है। बदले में उच्च न्यायालय ने सरकार और सरकार को रिक्ति की स्थिति की जानकारी नहीं दी। ने इस मामले में कोई रुचि नहीं ली क्योंकि बाद के चरण में इसने निचले न्यायिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों को राज्य उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी कर दी थी।

यह अपने आप में राज्य के लिए परिणामी रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित कदम उठाने के लिए पर्याप्त संकेत था। सरकार नियमों के अनुरूप कार्य करना चाहिए और राज्य में न्यायिक सेवा में रिक्तियों को समय पर भरने के लिए सभी उचित कदम उठाएं। ऐसे प्रावधान के अनुपालन में चूक के कारण सभी क्षेत्रों में गंभीर सुधार पाया गया है।

(पैरा 31)

एन.डी. अचिंत- याचिकाकर्ता के वकील
अमोल रतन, एएजी हरियाणा।
राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता मधु दयाल, अधिवक्ता।
एच.एन. मेहतानी प्रलय- प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता

निर्णय

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार,

(1) इस निर्णय के द्वारा, हम दो रिट याचिकाओं - 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 1640 और 2002 की 6070, का निपटान करेंगे, क्योंकि न्यायालय के समक्ष विचार के लिए कुछ समान तथ्यों पर आधारित कानून का सामान्य प्रश्न उठता है।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इन याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड तलब करने और फिर

हरियाणा राज्य सरकार को उनका नाम उच्च न्यायालय को भेजने का निर्देश देने की प्रार्थना की है। हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियमों (बाद में नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 8 भाग-डी के तहत बनाए गए रजिस्टर के रोल में शामिल करने के लिए और उत्तरदाताओं को उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश करने के लिए निर्देश देने के लिए कानून के अनुसार |

(3) मामले की योग्यता की जांच करने के लिए आवश्यक तथ्यों का संदर्भ उचित होगा।

(4) सुविधा के उद्देश्य से, हम 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 1640 के तथ्यों का उल्लेख कर रहे हैं।

(5) हरियाणा राज्य ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के पदों के लिए 12 रिक्तियों का विज्ञापन दिया। इनमें से छह पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। परीक्षाएं 23 मई से 25 मई, 2000 के बीच आयोजित की गईं। मौखिक परीक्षा के बाद अंतिम परिणाम 30 अगस्त, 2000 को घोषित किया गया, जिस तारीख को अधिसूचना जारी की गई और इसे 12 सितंबर, 2000 को आधिकारिक राजपत्र में विधिवत प्रकाशित किया गया। याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में 56% अंक और मौखिक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए। इस प्रकार, कुल मिलाकर 55% से अधिक अंक प्राप्त करना। याचिकाकर्ता का नाम सामान्य वर्ग के सफल अभ्यर्थियों की सूची में दिखाया गया था. वह क्रम संख्या 9 पर थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, छह उम्मीदवारों के नाम नियुक्ति के लिए भेजे गए थे और याचिकाकर्ता का नाम प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। आगे कहा गया है कि उत्तरदाताओं को चयन की तारीख से एक वर्ष के भीतर हुई अप्रत्याशित रिक्तियों के लिए नियमों के नियम 8 भाग डी के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता का नाम भेजना चाहिए था और उच्च न्यायालय को नाम की सिफारिश करनी चाहिए थी। सरकार को नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता को, बदले में, याचिकाकर्ता को रिक्त रिक्तियों के विरुद्ध एचसीएस (न्यायिक शाखा) के सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए था। ऐसा करने में विफल रहने पर, याचिकाकर्ता को गंभीर पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है और इस तरह उसने उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए रजिस्टर के रोल में अपना नाम शामिल करने और परिणामी नियुक्ति के लिए 26 सितंबर, 2000 को एक अभ्यावेदन दिया। 2002 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6070 में अमरजीत सिंह सहित अन्य उम्मीदवारों, जिन्होंने 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ने इस तरह के अभ्यावेदन दिए और उत्तरदाताओं से कोई राहत पाने में विफल रहने पर, याचिकाकर्ताओं ने ये रिट याचिकाएं दायर की हैं।

6) नोटिस पर, उत्तरदाताओं ने अलग-अलग लिखित आवेदन दायर किए। उच्च न्यायालय ने एक संक्षिप्त लिखित बयान दायर किया और यह रुख अपनाया गया कि सरकार ने याचिकाकर्ता का नाम रजिस्टर में शामिल करने के लिए नहीं भेजा है, ऐसे में याचिकाकर्ता का नाम रजिस्टर में दर्ज करने या उसे सेवा में नियुक्त करने का सवाल उत्पन्न नहीं होता |

(7) हरियाणा राज्य और हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए।

(8) हरियाणा लोक सेवा आयोग के अनुसार कोई भी तथ्य विवादित नहीं है। लिखित विवरण के पैरा 12 में कहा गया है कि 12 रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था। न्यायिक शाखाओं में भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए छह और अनुसूचित जाति के लिए छह पद हैं। आयोग ने याचिकाकर्ता के नाम को क्रमानुसार शामिल करते हुए नामों की सिफारिश की न्यायिक शाखाओं में भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए छह और अनुसूचित जाति के लिए छह पद हैं। आयोग ने याचिकाकर्ता के नाम को क्रमानुसार शामिल करते हुए नामों की सिफारिश की आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 218 सामान्य वर्ग में मेरिट सूची के अनुसार क्रमांक 9। यह याचिकाकर्ता का स्वीकृत अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, हालाँकि, जैसा कि राज्य और उच्च न्यायालय में था, उसे आयोग की ओर से मांगे जाने पर अग्रेषित कर दिया गया था।

9) उत्तर में राज्य ने भी तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया है। यह कहा गया है कि परिणाम 4 अगस्त, 2000 को घोषित किया गया था और 12 सितंबर, 2000 को राजपत्रित किया गया था। याचिकाकर्ता का नाम सामान्य श्रेणी में मेरिट सूची के क्रमांक 9 पर था। हालाँकि, सामान्य वर्ग में केवल छह नाम और आरक्षित वर्ग में छह नाम, नियमानुसार उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण कराने के बाद नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय को भेजे गए थे।

(10) राज्य के अनुसार, नियम 8 के तहत विज्ञापित रिक्तियों के बराबर नाम और अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पांच नाम भेजे जाने थे, लेकिन प्रथा के अनुसार अतिरिक्त 5 नाम नहीं भेजे गए और उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के लिए कोई अपवाद नहीं लिया । इस प्रकार, राज्य प्रशासन की कोई गलती नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त होने का हकदार नहीं है क्योंकि एक वर्ष के भीतर केवल एक अप्रत्याशित रिक्ति निकली थी, जिसके विरुद्ध क्रम संख्या 7 पर एक उम्मीदवार श्री सुधीर को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। अन्य अप्रत्याशित रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा कोई संदर्भ नहीं दिया गया और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसे में याचिकाकर्ता की रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए।

(11) यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। इस पर विचार किया गया और उच्च न्यायालय को भेजा गया और परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि नियमों के नियम 8-ए की भाषा को ध्यान में रखते हुए। याचिकाकर्ता एवी राहत का हकदार नहीं है।इस प्रकार, प्रतिवादी रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करता है।

(12) उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विवाद उक्त नियमावली के नियम 8 के अर्थ एवं व्याख्या पर घूमता है। इसलिए, हम नियमों के भाग डी के असंशोधित और साथ ही संशोधित नियम 8 का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि पार्टियों के विद्वान वकील ने राजीव त्यागी बनाम हरियाणा राज्य के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। सिविल रिट याचिका संख्या 963/1993, 10 नवंबर, 1993 को निर्णय लिया गया। संशोधन वर्ष 1993 में हुआ।

असंशोधित नियम 8 इस प्रकार है-

"8. उच्च न्यायालय के रजिस्टर में दर्ज नामों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आम तौर पर उन रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त अनुमान से अधिक नाम शामिल नहीं किए जाएंगे, जो परीक्षा के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों के चयन की तिथि से दो साल के भीतर होने की संभावना में है। ।"

संशोधित नियम 8 इस प्रकार है:--

"8. उच्च न्यायालय के रजिस्टर में दर्ज नामों की संख्या हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित रिक्तियों और आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए, होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए एक परीक्षा के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों के चयन की तारीख से एक वर्ष के भीतर पांच अतिरिक्त नामों से अधिक नहीं होगी। ।"

(13) राजीव त्यागी के मामले (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने यह विचार किया कि एच.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित (न्यायिक शाखा) पीसीएस परीक्षा में न्यूनतम मानक निर्धारित अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने मात्र से, अधीनस्थ के पद को सुरक्षित करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायाधीश, भले ही पद चयन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर उपलब्ध थे, जैसा कि भाग डी के नियम 8 के तहत आवश्यक है। खंडपीठ ने यह भी माना कि नियम के भाग-डी का नियम 8-ए निर्देशिका था और अनिवार्य नहीं है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रोल रजिस्टर में दर्ज किए गए अंकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय के रोल रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले पदों की संख्या के लिए कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है और इस तरह की व्याख्या के समर्थन में अभिव्यक्ति 'सामान्य तौर पर' यह बेंच द्वारा देखा गया था कि नियम 8 के तहत अपेक्षित दो वर्ष की अवधि पहली चयन सूची उच्च न्यायालय को भेजे जाने की तारीख से शुरू होगी।

(14) हमारे लिए इन निष्कर्षों पर कुछ विस्तार से चर्चा करना आवश्यक होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नियमों के नियम 8 को वर्ष 1994 में संशोधित किया गया था, नियम की भाषा को भौतिक रूप से बदल दिया गया था और भेजे जाने वाले नामों की संख्या तय की गई थी। रजिस्टर पर सूचीबद्ध करने के लिए उच्च न्यायालय में।

15) एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विकास जो इस बीच हुआ है वह यह है कि इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा राज्य बनाम अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय के मामले में आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा **220 2003(1)** और अन्य, **1998** की सिविल रिट याचिका संख्या **14372** में **12** अक्टूबर, **1998** को निर्णय लिया गया कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को हर साल पीसीएस/एचसीएस (न्यायिक सेवा) के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाए।
उनका आधिपत्य इस प्रकार है:-

"दो वर्षों के दौरान पंजाब राज्य/पीपीएससी और हरियाणा राज्य/एचपीएससी द्वारा पीसीएस (जेबी) या एचसीएस (जेबी) में रिक्तियों को भरने के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। डेढ़ साल और यहां तक कि अतीत में भी न्यायिक शाखा की रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित आयोगों द्वारा नियमित अंतराल पर परीक्षाएं आयोजित नहीं की गईं। इस प्रक्रिया में, मामलों के निपटान में बहुत बाधा आई और लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई। इसे ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि दोनों राज्य सरकारें, उच्च न्यायालय के परामर्श से, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी तक संबंधित आयोगों (मौजूदा और प्रत्याशित) को रिक्तियों को अधिसूचित करेंगी और उसके बाद, संबंधित आयोग रिक्तियों का विज्ञापन करेंगे और प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में अधिसूचित रिक्तियों के संबंध में परीक्षा आयोजित करना और प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को या उससे पहले योग्यता के क्रम में चयनित उम्मीदवारों की सूची राज्य सरकारों और उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराना। उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए। जहां तक पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य में अधीनस्थ न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने का संबंध है, इस याचिका का निपटारा किया जाता है।"

(16) 1994 के संशोधन के बाद, नियम को नकारात्मक अभिव्यक्ति के साथ शब्द दिया गया है "हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित रिक्तियों और 5 अतिरिक्त नामों से अधिक नहीं होगा। असंशोधित नियम 8 की भाषा के बिल्कुल विपरीत, विधायी उच्च न्यायालय के रजिस्टर में रखे जाने वाले नामों की संख्या को सीमित करने का इरादा न केवल सीमित किया गया है, बल्कि संबंधित अधिकारियों को संशोधित नियम में निर्दिष्ट से अधिक नाम पेश करने से भी रोक दिया गया है। अतिरिक्त 5 नाम देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है चयन की तारीख से एक वर्ष के भीतर होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरना परीक्षा के परिणामस्वरूप अभ्यर्थियों की नियम 2 के उत्तरार्ध में

दो प्रासंगिक अभिव्यक्तियाँ हैं अर्थात् उम्मीदवारों के चयन की तारीख से एक वर्ष और दूसरा परीक्षा के परिणाम के रूप में। नियम 8-ए के समग्र रूप में प्रभाव और दायरे का निर्धारण करते समय इन दोनों अभिव्यक्तियों में से किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

(17) कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि नियम की सही व्याख्या निर्धारित करने के लिए उसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। अपने स्वयं के प्रस्ताव (सुप्रा) पर न्यायालयों में इस न्यायालय के फैसले के प्रकाश में मामले के एक पहलू ने नियम की भाषा को और अधिक निश्चितता प्रदान की है कि अधिकारी सालाना और अनिश्चित काल तक परीक्षा आयोजित करने के लिए बाध्य हैं। "असंशोधित नियम में मौजूद अस्तित्व समाप्त हो गया है। हर साल परीक्षा आयोजित करने से न केवल रिक्तियों को दाखिल करने की समीक्षा होगी, बल्कि इसकी भाषा में सरलता से संबंधित अधिकारियों पर निर्धारित कार्यक्रम को बनाए रखने के इरादे से शीघ्रता से कार्य करने का दायित्व होगा। राज्य सरकारें और आयोग को ऐसे समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है कि नियम और निर्णय का उद्देश्य विफल न हो।

(18) डिवीजन बेंच ने नियम में अनिश्चित भाषा के उपयोग पर भरोसा किया और इसे निर्देशिका के रूप में संदर्भित करने के लिए अभिव्यक्ति पर जोर दिया। हमें नियम 8-ए की व्याख्या न्यायालय के स्वप्रेरणा (सुप्रा) के फैसले के आलोक में करनी चाहिए। एक वर्ष की अवधि का आयोग द्वारा वार्षिक परीक्षा आयोजन से सीधा संबंध है, जैसा कि निर्णय में निर्दिष्ट है। जब एक वर्ष की अवधि परीक्षा के वार्षिक आयोजन से सीधा सह-संबंध आयोग, जैसा कि निर्णय में निर्दिष्ट है। जब एक तु की अवधि क्या शुरू होगा यह मूल प्रश्न है जिसका न्यायालय को उत्तर देना है

(19) नियम 8 का प्रावधान नामों की संख्या के साथ-साथ उस अवधि के संबंध में आदेश देता है जिसके लिए भेजा गया नाम प्रभावी होगा। नियम का संचयी प्रभाव अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय के निर्णय के साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जाता है (सुपर यह है कि नियम 8 अनिवार्य है और केवल अपने एससीओ और प्रभाव में निर्देशिका नहीं है, क्योंकि यह संबंधित प्राधिकारियों में से किसी को भी इससे बचने का कोई विकल्प नहीं देता है) इसके अनुपालन में एक बार पदों की संख्या के अनुदान की सीमा आवश्यक रूप से नियम की भाषा से ग्रहण हो जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह केवल नियामक या निर्देशिका है।

20) इस पृष्ठभूमि के साथ, अब हम चर्चा करते हैं कि एक वर्ष की अवधि कब शुरू होती है। परीक्षा के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों का चयन वह बिंदु है जहां से एक वर्ष की अवधि की गणना की जानी चाहिए। परीक्षा के परिणाम स्वरूप अभिव्यक्ति की अवहेलना नहीं हो सकती। चयन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने का संकेत देता है। चयन की अभिव्यक्ति को नियुक्ति के रूप में नहीं समझा जा सकता है। अभिव्यक्ति नियुक्ति एक शब्द है जो सेवा न्यायशास्त्र के लिए जाना जाता है।

जिस उम्मीदवार को नियुक्त किया जाता है उसका उस पद पर निश्चित कानूनी अधिकार होता है जिस पर वह नियुक्त किया जाता है, जबकि जिस व्यक्ति का चयन मात्र हो जाता है उसके पास उस पद पर कोई अक्षम्य या अनिश्चित अधिकार नहीं होता है | जिस उम्मीदवार को नियुक्त किया जाता है, उसके पास उस पद पर एक निश्चित कानूनी अधिकार होता है जिस पर उसे नियुक्त किया जाता है, जबकि जिस व्यक्ति को अभी चुना जाता है, उसके पास प्रश्न में पद पर कोई अक्षम्य या अनिश्चित अधिकार नहीं होता है, लेकिन नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने चयन सरलीकरण शब्द का उपयोग नहीं किया है। यह परीक्षा के परिणामस्वरूप एक उम्मीदवार का चयन है। दूसरे शब्दों में, चयन की प्रक्रिया में इसकी प्रासंगिकता निर्धारित करने के लिए अभिव्यक्ति परीक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है या पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भाग सी और डी के तहत तैयार की गई अधिनियम की योजना यह है कि परीक्षा विभिन्न सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाती है और जो उम्मीदवार नियमों के अनुसार अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें मौखिक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जो लिखित परीक्षा के आधार पर एक योग्यता सूची है। और वीआई वॉयस आयोग द्वारा सरकार को अग्रेषित करके तैयार किया जाता है, फिर राज्य सरकार आवश्यक सत्यापन के अनुपालन पर परिणाम घोषित करती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित और राजपत्रित किया जाता है। राज्य सरकार मेरे आदेशानुसार इतनी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के नाम जारी करेगी जो उक्त नियमों के नियम भाग डी में वर्णित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होंगे। नियमों के भाग डी के नियम 1 की शर्तों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए रजिस्टर पर पैनल में शामिल होने के लिए राज्य द्वारा अग्रेषित नाम।

21) उस तारीख को निर्धारित करने के लिए जब एक वर्ष की अवधि शुरू होती है, अधिकारियों में विवेक को कम किया जाना चाहिए और तारीख को सामान्य रूप से नियुक्ति से संबंधित होना चाहिए जो जानबूझकर प्रभावी और सार्वजनिक रूप से प्रासंगिक हो सकता है जब कोई दस्तावेज़ अधिसूचित हो और आधिकारिक राजपत्र में राजपत्रित हो। , जिसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया गया माना जाएगा और आधिकारिक राज-पत्र में परिणाम की घोषणा सरकार और संबंधित प्राधिकारी को इसकी शुद्धता के लिए बाध्य करती है। लोक सेवा आयोग को परिणाम घोषित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह केवल उन अभ्यर्थियों का नाम अग्रेषित करता है जिन्होंने न्यूनतम अंक प्राप्त करके लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रक्रिया के अनुसार मौखिक परीक्षा दी गई है।

22) इस स्तर पर हम हाल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उपयोगी संदर्भ ले सकते हैं भारत संघ बनाम गंगा दास[1] जिसमें राज-पत्र प्रकाशन को पर्याप्त सबूत कह गया था और धारा 25 के तहत छूट अधिसूचना जारी करते समय भी किसी भी आगे की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी | आधिपत्य ने माना कि यह स्थापित प्रथा है कि आधिकारिक राजपत्र यानी भारत के राजपत्र में प्रकाशन एक नियम या अधीनस्थ लाने का एक सामान्य तरीका है संबंधित व्यक्ति के ध्यान में

[1] 2000 (9) एससीसी 461

कानून। परिणाम के प्रकाशन के बाद अपवादों को छोड़कर किसी भी अधिकारी की भूमिका काफी सीमित होती है। परिणाम, चयन के प्रकाशन के बाद चयन प्रक्रिया का मुख्य चरण पूरा हो गया है और उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में मामला शुरू हो गया है। (23) जब भी प्रावधानों को पढ़ने पर अलग-अलग तारीखों का उल्लेख करना संभव हो, तो एक तारीख को संदर्भित करना और स्वीकार करना हमेशा बेहतर होगा जो निश्चितता पैदा करने में मदद करेगा और ऐसे प्रावधानों के कार्यान्वयन में अनिश्चितता से बचाएगा। प्रासंगिक तिथियों के रूप में किसी अन्य तिथि को स्वीकार करने से अनिश्चितता पैदा होगी और यह वार्षिक परीक्षा के उद्देश्य और रिक्तियों को भरने की संभावना के अनुरूप नहीं होगी। यह नियमों/अधीनस्थ कानून की व्याख्या के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप होगा कि नियमों को एक अर्थ दिया जाना चाहिए जो व्याख्या के तहत नियमों के कार्यान्वयन में अस्पष्टता और अनिश्चितता से बचने में मदद करेगा। यदि सभी संबंधितों को कट ऑफ डेट के रूप में ली जाने वाली तारीख की जानकारी हो तो यह कानून को और खराब कर देगा। दूसरे शब्दों में, एक सार्वजनिक घोषणा या गजट अधिसूचना को एक सार्वजनिक घोषणा या तथ्य के रूप में समझा जाना चाहिए जिसके बारे में जनता को जानकारी होगी। परिणाम की घोषणा और इसकी गजट अधिसूचना के बाद विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य अपनी प्रकृति और दायरे में पर्याप्त से अधिक मंत्रिस्तरीय प्रकृति के हैं। परिणाम और इसकी गजट अधिसूचना अपनी प्रकृति और दायरे में पर्याप्त होने की बजाय अधिक मंत्रिस्तरीय प्रकृति की है। नामों को अग्रेषित करना, सरकार को उनके संदर्भ भेजना और नियुक्ति पत्र जारी करना ऐसे कार्य हैं जिन्हें अपवादों को छोड़कर नियम के रूप में शीघ्रता से किया जाना चाहिए। चयन की प्रक्रिया राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशन पर समाप्त होती है और उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। ये दोनों पहलू एक-दूसरे के पूरक हैं और बाद में पहले चरण के उद्देश्य को पूरा किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रासंगिक नियमों में अंतर्निहित योजना है। अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में चयन और नियुक्ति में उच्च न्यायालय बहुत सीमित भूमिका निभाता है। वास्तव में, हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाहा और अन्य[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

“उच्च न्यायालय किसी विशेष उम्मीदवार की सिफारिश करने के मामले में नहीं आता है जब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सूची के अनुसार किन अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए, नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची उच्च न्यायालय को भेजी जाती है और उच्च न्यायालय को ऐसे अभ्यर्थियों को अपने द्वारा बनाए गए रजिस्टर पर दर्ज करना होगा।जब रिक्तियां भरी जाएंगी तो उच्च न्यायालय चयन सूची के अनुसार उम्मीदवारों के नाम भेजेगा और उस क्रम में उन्हें रिक्तियों में नियुक्ति के लिए उस सूची में रखा जाएगा। इसलिए, उच्च न्यायालय सरकार को यह सुझाव देने के अलावा कोई भूमिका नहीं निभाता है कि चयन सूची के अनुसार किसी विशेष रिक्ति पर किसे नियुक्त किया जाना है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में लोक सेवा आयोग ने पहले 15 उम्मीदवारों

[2] 1973 एसएलआर 137

की सूची भेजी थी क्योंकि आयोग को सूचित किया गया था कि 15 रिक्तियां हैं। उच्च न्यायालय ने भी अपने नियमित पाठ्यक्रम में नियुक्ति के लिए पहले 15 नाम सरकार को भेजे थे।"

(24) नियम 8 की भाषा के महत्व को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए और दी गई व्याख्या से नियम में अस्पष्टता के बजाय निश्चितता का तत्व पेश किया जाएगा। एक वर्ष की अवधि को नियमों की योजना, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और एक दृष्टिकोण जैसे सहायक कारकों के प्रकाश में समझा जाना चाहिए जो प्रावधानों को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाएगा। हम उचित रूप से रामेश्वर बनाम जोत राम[3] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं, जहां न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: -

"एक ऐसा निर्माण जो परिणामों की पूर्वानुमेयता, उचित क्रमबद्धता की स्थिरता, न्यायिक कार्य का सरलीकरण, कानून के उद्देश्य की न्यायालय द्वारा उन्नति, और प्रतिस्पर्धी लोगों के बीच कानून के एक मजबूत नियम के रूप में न्यायिक प्राथमिकता को बढ़ावा देगा, उसे अवश्य खोजना चाहिए न्यायालय का पक्ष लें।"

(25) गजट अधिसूचना की तारीख को छोड़कर किसी अन्य तारीख का संदर्भ देने से अनिश्चितता और अस्पष्टता होने की संभावना है। सरकार, उच्च न्यायालय और आयोग के बीच पत्राचार एक प्रकार का आधिकारिक पत्राचार है, जो जनता या चयनित उम्मीदवारों के लाभ के लिए भी नहीं है। एक उम्मीदवार जो अप्रत्याशित रिक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए अपना दावा करना चाहता है एक वर्ष की अवधि कब समाप्त हो गई पता ही नहीं चलेगा। यह सभी संबंधित पक्षों को सस्पेंस की स्थिति में रखेगा। इस प्रकार, एक वर्ष की महत्वपूर्ण अवधि की शुरुआत के लिए ऐसी तारीख का संदर्भ स्वीकार्य या व्यावहारिक भी नहीं हो सकता है।

(26) उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा मानना है कि नियम 8 भाग-डी के संदर्भ में चयनित उम्मीदवारों का परिणाम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि शुरू होनी चाहिए।

(27) चयन किए जाने के बाद, उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में चयनित उम्मीदवारों के नाम को उच्च न्यायालय के रजिस्टर पर सूचीबद्ध करने से इस बहाने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने लिखित और मौखिक परीक्षा में 55% या कुल अंक प्राप्त नहीं किए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि अभी तक नियमों में संशोधन नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय की राय बाध्यकारी नहीं है और वे पात्र हैं। वर्तमान मामले में इस प्रश्न की जांच केवल अकादमिक होगी

[3] एआईआर 1976 एससी 1516

क्योंकि दोनों याचिकाकर्ताओं ने, किसी भी मामले में, 55% से अधिक कुल अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार, हम वर्तमान याचिका में मामले के इस पहलू पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

(28) वर्तमान मामले में दो बुनियादी विवादों का उत्तर देने के बाद, हमें यह देखना चाहिए कि सभी संबंधित अधिकारियों से शीघ्रता से कार्य करने और देरी से बचने की अपेक्षा की जाती है जो चयनित उम्मीदवारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए बाध्य है। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के फलस्वरूप चयनित एवं सफल घोषित किये गये किसी भी अभ्यर्थी का कोई अपरिवर्तनशील अधिकार नहीं है, परन्तु निश्चित रूप से उसकी नियुक्ति के संबंध में वैध अपेक्षा अवश्य है। साक्षात्कार के परिणामस्वरूप सफल घोषित किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में उसकी वैध अपेक्षा है। एक बार, सरकार आधिकारिक राजपत्र में परिणाम प्रकाशित कर देती है, तो यह उम्मीद की जाती है कि नाम उचित समय के भीतर नियम 8 के संदर्भ में पैनल में शामिल होने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया जाएगा और किसी भी मामले में ऐसी तारीखों से 30 दिनों की अवधि से अधिक नहीं होगी। . इसके बाद, उच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह शीघ्रता से नियुक्तियाँ करेगा और किसी भी कारण से या उस अवधि के दौरान हुई परिणामी या अप्रत्याशित रिक्तियों के लिए मामले को सरकार को वापस भेज देगा। नियमानुसार, ऐसी प्रक्रिया में ज्यादा विवाद नहीं होना चाहिए, भले ही कुछ आरक्षण हो, हम उम्मीद करेंगे कि संबंधित प्राधिकारी ऐसी राजपत्र अधिसूचना की तारीख से चार महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। उसके बाद की नियुक्तियाँ केवल अपेक्षित घटनाओं से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने की आवश्यकता से संबंधित होनी चाहिए। इससे ऐसी सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया में निश्चितता लाने में मदद मिलेगी और अनुचित देरी से आसानी से बचा जा सकता है। वर्तमान मामले में, सरकार ने 12 रिक्तियों का विज्ञापन दिया था। पिछली प्रथा के अनुसार घोषित परिणाम में 28 नाम अधिसूचित किये गये थे। सरकार ने हाईकोर्ट रजिस्टर में पैनल में शामिल होने के लिए सिर्फ 5 नाम भेजे थे. सरकार के मुताबिक हाई कोर्ट ने सरकार को रिक्तियों की जानकारी नहीं दी, इसलिए सरकार ने अतिरिक्त नाम नहीं भेजे। (29) उच्च न्यायालय के अनुसार, उन्होंने सरकार को सूचित किया था, हो सकता है बाद के चरण में, इस तथ्य को राज्य ने स्वीकार नहीं किया है। जैसा भी हो, गलती किसी की भी हो, उसके प्रतिकूल परिणाम याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लागू नहीं किए जा सकते हैं, जिनकी गलती नहीं है और वे चयनित उम्मीदवार हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। परिणाम का राजपत्र 12 सितंबर, 2000 को जारी किया गया था, हालांकि पहली बार हमने उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 16 नवंबर 2000 को सरकार द्वारा नाम उच्च न्यायालय को भेजे थे। असंशोधित प्रावधानों के आधार पर, जो नियम के नियम 8 के तहत निर्धारित एक वर्ष की अपेक्षित अवधि की गणना के लिए प्रासंगिक तारीख होगी।

(30) हमारे सामने मौजूद रिकॉर्ड से, ऐसा प्रतीत होता है और जिस पर हमारे सामने उपस्थित दोनों पक्षों द्वारा विवाद किया गया है, श्री वी चौधरी 5 अप्रैल, 2000 को सेवानिवृत्त हुए और उनके स्थान

पर एक सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को 15 दिसंबर को पदोन्नत किया गया था। 2000, उस तारीख को राज्य न्यायिक सेवा के कैडर में एक स्थायी रिक्ति उत्पन्न हुई। इस प्रकार, उस तारीख को राज्य न्यायिक सेवा के कैडर में एक स्थायी रिक्ति हो गई। यह रिक्ति संभवतः उच्च न्यायालय को अधिसूचित नहीं की गई थी। सुश्री पूनम दुर्गन ने मई 2000 में अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और उनके स्थान पर श्री सुधीर को 5 नवंबर 2000 को नियुक्ति दी गई। एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद अप्रत्याशित रिक्ति हुई। यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2000-2001 की अवधि के दौरान, मौजूदा अधिकारियों की मृत्यु, सेवानिवृत्ति और इस्तीफा प्रस्तुत करने के कारण 5 अप्रत्याशित रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं। (31) इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि एक पद रिक्त हुआ था। परिणाम की घोषणा/राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर और यह रिक्ति कभी भी ऐसे व्यक्ति को पेश नहीं की गई थी जिसका नाम बिल्कुल सही था और पद पर नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्टर में सूचीबद्ध होना चाहिए था। पहली गलती हरियाणा राज्य द्वारा की गई क्योंकि उन्होंने नियम 8 (1993 में संशोधित) की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया। उन्हें विज्ञापित रिक्तियों की संख्या और 5 अतिरिक्त नाम भेजने चाहिए थे। यह गलती राज्य सरकार की है जिसके परिणामस्वरूप बाद में त्रुटियाँ हुईं। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप विशेष रूप से याचिकाकर्ता की वैध और वैध अपेक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। बदले में उच्च न्यायालय ने सरकार को रिक्ति की स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया और सरकार ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि बाद में उसने निचले न्यायिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों को राज्य उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। यह अपने आप में राज्य के लिए परिणामी रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित कदम उठाने के लिए पर्याप्त संकेत था। सरकार को नियमों के अनुरूप कार्य करना चाहिए और राज्य में न्यायिक सेवा में रिक्तियों को समय पर भरने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए। ऐसे प्रावधान के अनुपालन में चूक का सभी क्षेत्रों में गंभीर प्रभाव पाया गया है।एक ओर, यह चयनित उम्मीदवारों के अधिकारों और वैध प्रत्याशा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा क्योंकि उन्हें बिना किसी गलती के अनिश्चितता की स्थिति में रखा जाएगा, जबकि दूसरी ओर रिक्तियों को भरने में लंबे समय तक देरी के परिणामस्वरूप गंभीर वृद्धि होगी। मामलों के लंबित रहने से राज्य में न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप हो रहा है। याचिकाकर्ता ने हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव के समक्ष अभ्यावेदन दायर कर उनसे अपना नाम उच्च न्यायालय के रजिस्टर में सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था और परिणामी रिक्तियों में उनकी नियुक्ति के लिए प्रार्थना की थी। याचिकाकर्ता अपने अधिकार के प्रति सतर्क रहा है और वास्तव में उसने वीरेंद्र एस हुड्डा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है। 1999 की सिविल अपील संख्या 2286, जिसमें देरी के उपरोक्त प्रश्न को याचिकाकर्ता के अधिकार के लिए घातक नहीं माना गया था। माना जाता है कि अप्रत्याशित रिक्तियां परिणाम की घोषणा के बहुत बाद में हुईं और वास्तव में ऐसी एक रिक्ति दिसंबर, 2000 और यहां तक कि नवंबर, 2001 में भी हुई थी। इस प्रकार, हमें याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

(32) उपरोक्त तर्क के मद्देनजर, हम रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हैं और राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह सफल उम्मीदवारों का परिणाम आने की तारीख से एक वर्ष के भीतर योग्यता और उपलब्ध रिक्ति स्थिति के आधार पर याचिकाकर्ताओं का नाम अग्रेषित करें। उक्त नियम के नियम 8 के संदर्भ में तुरंत उच्च न्यायालय रजिस्टर में पैनलबद्ध करने के लिए अंतिम राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके अलावा हम उच्च न्यायालय को निर्देश देते हैं कि 2000 के बैच में हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर कानून के अनुसार विचार करें।

(33) रिट याचिकाओं को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है, जिससे पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी पड़ती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
अंबाला, हरियाणा